कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 151609 दिनांक- 14-05-2015

पत्रसं0-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0/ स0प0/15-16 / आन लाइन शापिंग/ 304 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 19 मई 2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

विषयः- आन लाइन शापिंग पर होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन को रोकने के सम्बन्ध में

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर के उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन शापिंग के माध्यम से की जा रही खरीद पर उत्तर प्रदेश में वैट प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा भी यह बिन्दु उठाया गया है कि आन लाइन शापिंग के माध्यम से हो रहे करपवंचन के कारण उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उ0प्र0 मूल्य सवर्धित कर अधिनियम की धारा-17(6) (a) (b) में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है :-

कोई रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाइडर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारण का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यक वस्तुओं का भण्डारण करता है, व्यवसाय प्रारम्भ करने की अवधि के 30 दिन के अन्दर फार्म-14 में पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अभिलेख रखेगा, जैसे निर्धारित किए जाएँ।

उपर्युक्त के लिये पंजीयन एवं अभिलेखों के रख-रखाव के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम-38(8) व (9) में प्राविधान किये गये है।

इस प्रकार के सम्व्यवहारों हेतु वर्तमान में आन लाइन शापिंग मुख्य रुप से कोरियर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हो रही है। आन लाईन शांपिग कम्पनी द्वारा गोदाम भी उपलब्ध कराये जाते हैं। मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 एवं मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 में इस माध्यम से हो रहे करापवंचन को रोकने के लिए स्पष्ट प्राविधान निर्धारित हैं। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है :-

1- अधिक्षेत्र में बिना सर्विस प्रोवाइडर नम्बर (SPN) प्राप्त किए व्यवसाय करने वाली संस्थाओं एवं सम्व्यहारियों को चिन्हित कर, उनके सम्बन्ध में पर्याप्त सूचनाए सकलित कर इन्हें पंजीयन के दायरे में लाया जाय।

2- ऐसी संस्थाओं एवं संव्यवहारियों द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्रों का सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें निर्धारित व्यवस्था के अनुरुप प्रपत्र रखने हेतु निर्देशित किया जाय तथा इनसे सूचनाएँ प्राप्त कर सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा किये गये संव्यवहारों में करापवंचन निहित है अथवा नहीं।

3- उपर्युक्त उल्लिखित आन लाइन शापिंग संव्यवहारों में प्रवर्तन इकाईयों के अधिकारियों का भी दायित्व है कि ऐसे माल का परिवहन पाये जाने पर सेल ऑफ गुडस एक्ट की धारा-26 की अवधारणा " Risk Prima Facie Passes with property " के आलोक में इस बिन्दु जॉच करें कि उ0प्र0 में डेलीवरी के पूर्व माल का स्वामित्व किसका है एवं यदि जॉच पर करावंचन पाया जाये तो ठोस आधार निगमित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने जोन में इस प्रकार का व्यवसाय करने वाली कम्पनियों / संस्थाओं / व्यक्तियों को अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए उनके अधिक से अधिक पंजीयन कराए जाने / निर्धारित व्यवस्था के अनुरुप प्रपत्रों को रखे जाने एवं ऐसे सम्व्यवहारियों से सूचनाएँ प्राप्त कर करापवंचन पाये जाने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराएँ। इस प्रकार से सम्पादित कराई गयी कार्यवाही से आन लाइन शापिंग / कूरियर कम्पनियों के माध्यम से किये जा रहे करापवंचन को रोकने की दिशा में ठोस एवं सार्थक परिणाम प्राप्त होंने के शत-प्रतिशत संभावना बनेगी।

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश